

## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Blind (M.P.)

Case No. 15517	Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant	
्रक्र गुप्ता ०० इंटर गुप्ता ००	साब भूत विभाग
काविक मिजन्हें हे प्रथम मण्डे भागक मिजन्हें हे प्रथम मण्डे	ाजला - भिरा
Name, parentage, caste and address of accused	
(2 फनमंड	० डेमाशाश्री जारव
37 -	23 PAO Radslan
And Margh Hander His aphroph to	भारतना मार्द
	(市局
The offence, complainant of,	and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है	A A 0.151-112
AVEN THE THE PART OF THE PART	कि दिनांक २१७००००००००००००००००००००००००००००००००००००
अधिपना में हैं।	पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में े लीटर/पाव/बोतल	
	ों0 1915 की धारा 34—1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।	
क्या आपको उक्त अपराध	स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
शेदण्ड म पटाये जाले पर न दिनद्वा का	ं से दिख्या जाता है। अ
	भारतीय के स्थिति सम्मान
The plea of the accused	and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का	निवेदन है। Прар прумни
THE STATE OF THE S	TOPES DE PERME DELLE
	गायिक शहरता प्रथम भूगर

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## / / निर्णय / /

## (आज दिनांक 22 8 1) को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. सिक्षेप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की खेळापूर्वक खीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये 500 शब्दों में जिन्म ला प्रचयन रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर न दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04 जप्तशुदा सम्पत्ति <u>शराब</u> शराब शराब शराब शराब प्रत्यहीन एव मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायान्य के आदेश का पालन किया जावे।